

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
दीवानी अपीलीय अधिकार-क्षेत्र

दीवानी अपील सं. 14328/2024

@ विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 27723/2024

नवरतनलाल शर्मा ...

अपीलकर्ता

बनाम

राधामोहन शर्मा एवं अन्य ...

प्रत्यर्थागण

::हेडनोट ::

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 23 नियम 3 एवं 3 क - समझोता डिक्री - अपील की पुनर्स्थापना - समझोते की शर्तों का पालन न होने पर सहमति डिक्री को वापिस लेने का अधिकार - क्षेत्र और सीमाएं - अपील स्वीकृत - मामला पुनर्विचार हेतु उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित।

निर्णय

न्यायमूर्ति : पामिडीघंटम श्रीनरसिम्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपीलकर्ता ने प्रारंभ में घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) हेतु एक वाद दायर किया था, जिसे सत्र न्यायालय (Trial Court) ने खारिज कर दिया। तत्पश्चात अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दायर की। अपील लंबित रहते हुए, पक्षकारों के मध्य एक समझौता हुआ और उन्होंने उस की शर्तों के आधार पर अपील का निपटारा करने पर सहमति व्यक्त की। दिनांक 14.07.2022 को उच्च न्यायालय ने, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908)¹ की आदेश 23, नियम 3 (Order 23 Rule 3) के अंतर्गत अपीलकर्ता की अर्जी पर निर्णय पारित करते हुए उक्त अपील को समझौते की शर्तों के अनुसार निस्तारित कर दिया। तथापि, जब प्रत्यर्थियों ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया, तो अपीलकर्ता ने अपील की पुनर्स्थापना (restoration) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। दुर्भाग्यवश, यह आवेदन उस आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया, जो हमारे समक्ष चुनौती का विषय है, यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने समझौते को अभिलिखित करते समय अपील की पुनर्स्थापना की स्वतंत्रता (liberty) प्रदान नहीं की थी।
3. वैधानिक ढांचे और आदेश 23 के नियम 3 व 3A के गहन परीक्षण तथा प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में हमने अपील स्वीकार कर ली है। हमने यह निर्देश दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में पुनर्स्थापना ही एकमात्र उपाय है, जिसे पीड़ित पक्ष वैधानिक अधिकार के रूप में अपना सकता है।
4. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता वादग्रस्त संपत्ति का स्वामी है। उसने प्रत्यर्थियों के विरुद्ध 19.07.2010 एवं 27.07.2010 को निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी और 31.08.2010 एवं 15.09.2010 की बिक्री विलेखों (sale deeds) को निरस्त करने तथा स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा (mandatory injunction) प्रदान करने हेतु यह आरोप लगाते हुए वाद दायर किया था, कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने उपर्युक्त पावर ऑफ अटॉर्नी को कूटरचित (forged) किया और तत्पश्चात वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में उपर्युक्त बिक्री विलेख निष्पादित किए। सत्र न्यायालय ने दिनांक 17.02.2014 को वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

¹यहां के बाद 'CPC' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

5. प्रथम अपील लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे दिनांक 18.05.2022 के समझौता पत्र एवं 08.07.2022 के परिशोधन समझौता (corrigendum compromise) में अभिलिखित किया गया। इस समझौते में वादग्रस्त संपत्ति के विकास (development) की योजना थी, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी सं. 2 को अपीलकर्ता को कुछ धनराशि प्रदान करनी थी। समझौता पत्र दिनांक 18.05.2022 की धारा 4 और 7 इस प्रकार प्रासंगिक हैं:

"4. कि पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील सं. 210/2014 लंबित है। यह समझौता अन्य मामलों में प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों पक्ष इस आधार पर उन्हें हल कर पाएंगे, परंतु यदि समझौते की शर्तों का उल्लंघन होता है तो द्वितीय पक्ष को उपर्युक्त अपील संख्या 210/2014 को पुनर्स्थापित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।"

"7. कि प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 18.05.2022 को द्वितीय पक्ष को चैक संख्या 160711, राशि ₹ 11,00,000/- प्रदान किया गया है, जिसे चैक में अंकित तिथि पर बैंक में प्रस्तुत कर भुगतान लिया जा सकता है। विकसित भूमि का पट्टा देने के पश्चात, उक्त राशि के मूल्य के समकक्ष भू-खण्ड खसरा संख्या 11 में से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को हस्तांतरित किया जाएगा। यदि कोई चैक अनादृत होता है तो समझौता शून्य माना जाएगा।"

6. पक्षकारों ने सी.पी.सी. की आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि प्रथम अपील को समझौते के अनुसार निस्तारित किया जाए। इसमें यह भी उल्लेख था कि प्रत्यर्थी सं. 1 को समझौते पर कोई आपत्ति नहीं है और यदि भुगतान पूर्ण न हो एवं चैक अनादृत हो जाएं, तो अपीलकर्ता अपील की पुनर्स्थापना हेतु आवेदन कर सकता है।

7. दिनांक 14.07.2022 को उच्च न्यायालय ने समझौता पत्र दिनांक 18.05.2022 एवं परिशोधन समझौता दिनांक 08.07.2022 को अभिलेखित करते हुए, प्रथम अपील को उनके

अनुसार निस्तारित कर दिया। तथापि, न्यायालय ने यह भी कहा कि पक्षकारों को अपील की पुनर्स्थापना की अनुमति नहीं दी जा रही है। आदेश की प्रासंगिक धारा इस प्रकार है:

"5. यह न्यायालय, अपील के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, यह विचार व्यक्त करता है कि जब दोनों पक्ष समझौते की शर्तों पर सहमत हो चुके हैं और उनके पालन के लिए तैयार हैं, तो यह अपील उसी के अनुसार निस्तारित की जानी चाहिए, किंतु प्रथम अपील की पुनर्स्थापना हेतु कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है।"

"6. अतः समझौता दिनांक 18.05.2022 तथा परिशोधन समझौता दिनांक 08.07.2022 को अभिलेखित किया जाता है और प्रथम अपील को उक्त समझौते की शर्तों के अनुसार निस्तारित किया जाता है।"

"7. समझौता दिनांक 18.05.2022 एवं परिशोधन समझौता दिनांक 08.07.2022 इस आदेश का भाग माने जाएंगे।"

(प्रमुखता के लिए रेखांकित)

8. जब प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा समझौते के अनुपालन में जारी किए गए चेक अस्वीकृत (dishonoured) हो गए, तो अपीलकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए कि उसके वैध स्वामित्व पर अवैध हस्तक्षेप (illegal interference with possession) किया गया है और समझौते की शर्तों के अनुसार धनराशि का भुगतान किए बिना भूमि रूपांतरण (conversion) के प्रयास किए जा रहे हैं, फ्रॉड (fraud) का आरोप लगाकर उच्च न्यायालय में अपील की पुनर्स्थापना (restoration of the appeal) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। हमारे समक्ष चुनौती दिए गए आदेश (impugned order) द्वारा, उच्च न्यायालय ने यह आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि दिनांक 14.07.2022 को पारित आदेश (order) में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि पक्षकारों को अपील को पुनर्स्थापित करने की स्वतंत्रता (liberty) नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण (observed) किया कि दिनांक 14.07.2022 का आदेश एक सहमति आदेश (consensual order) था और पक्षकार जानते थे कि प्रथम अपील (first appeal) को पुनर्स्थापित करने की कोई स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है, भले ही समझौता लागू किया गया हो या

नहीं (even if the compromise is not acted upon)। अतः, पुनर्स्थापन हेतु किया गया आवेदन स्वीकार्य (entertainable) नहीं है। उच्च न्यायालय का संक्षिप्त आदेश दिनांक 19.10.2023 इस प्रकार है:

"1. प्रस्तुत विविध आवेदन अपीलकर्ता-वादकर्ता द्वारा एस.बी. दीवानी प्रथम अपील संख्या 210/2014 को पुनर्स्थापित करने हेतु आदेश दिनांक 14.07.2022 को वापस लेने (recalling) के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत पक्षकारों के मध्य दिनांक 18.05.2022 को किए गए समझौते के आधार पर प्रथम अपील का निस्तारण किया गया था।

2. आवेदन में कहा गया है कि समझौते के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए चेक अनादृत (dishonoured) हो गए हैं और प्रतिवादीगण ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया है (not adhered), अतः प्रथम अपील को गुण-दोष (merits) पर पुनः सुने जाने के लिए पुनर्स्थापित किया जाए।

3. आदेश दिनांक 14.07.2022 का विशेष रूप से पैरा संख्या 5 अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय ने समझौते के अनुसार अपील का निस्तारण करते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि पक्षकारों को इस अपील को पुनर्स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। आदेश दिनांक 14.07.2022 एक सहमति आदेश है और दोनों पक्ष भली-भांति जानते थे कि अपील की पुनर्स्थापना की कोई स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है, चाहे समझौता लागू किया गया हो या नहीं। अतः, पुनर्स्थापन के लिए यह आवेदन न्यायालय द्वारा विचारार्थ स्वीकार्य नहीं है।

4. उपर्युक्त के आलोक में, प्रथम अपील की पुनर्स्थापना हेतु प्रार्थना अनुचित (uncalled for) है। यदि दिनांक 18.05.2022 के समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, तो वादकर्ता-आवेदक को विधि के अनुसार उपयुक्त कदम उठाने की स्वतंत्रता (liberty to take appropriate steps in accordance with law) है।

5. उपर्युक्त टिप्पणियों सहित, बिना आदेश दिनांक 14.07.2022 को वापस लिए, यह विविध आवेदन निस्तारित किया जाता है।

6. स्थगन आवेदन एवं कोई अन्य लंबित आवेदन, यदि हो, तो वे भी निस्तारित माने जाएंगे।”

9. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं।

10. संहिता (CPC) में समझौता डिक्री (compromise decree) को नियंत्रित करने वाले प्रावधान आदेश 23, नियम 3 और 3A में अंतर्निहित हैं, जिन्हें इस प्रकार उद्धृत किया जाता है:

नियम 3 – वाद में समझौता

जहाँ न्यायालय को प्रमाणपूर्वक यह सिद्ध किया जाता है कि वाद पक्षकारों द्वारा सम्यक् और वैध लिखित करार या समझौते द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, या प्रतिवादी वादी को पूरी तरह संतुष्ट कर चुका है, तो न्यायालय उक्त करार, समझौते या तुष्टि को अभिलिखित करेगा और उस आधार पर डिक्री पारित करेगा।

परंतु, जहाँ एक पक्षकार इस बात से इनकार करता है और दूसरा पक्ष यह दावा करता है कि कोई समझौता या तुष्टि हुई थी, तो न्यायालय पहले इस प्रश्न का निर्णय करेगा कि वास्तव में ऐसा कोई समझौता या तुष्टि हुई थी या नहीं। इस प्रयोजन के लिए कोई स्थगन (*adjournment*) केवल तभी दिया जाएगा जब न्यायालय इसके लिए कारण दर्ज करे।

स्पष्टीकरण:

ऐसा कोई करार या समझौता जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अधीन अमान्य या अमान्यकरणीय हो, उसे इस नियम के अंतर्गत वैध समझौता नहीं माना जाएगा।

नियम 3क — वाद का निषेध

ऐसी कोई डिक्री जो समझौते के आधार पर पारित हुई हो, उसके अपास्तीकरण (setting aside) के लिए केवल इस आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है, वैध नहीं था।

11. इस न्यायालय ने *बनवारीलाल बनाम चंदोदेवी*² मामले में इस बात को स्पष्ट किया है कि समझौते के आधार पर कार्यवाही का निपटारा किस प्रकार किया जाए और समझौता डिक्री को वापस (recall) कैसे लिया जा सकता है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि आदेश 23, नियम 3 के अंतर्गत न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि पक्षकारों के मध्य किया गया समझौता वैध है या नहीं। इसके अतिरिक्त, उक्त नियम का परिशिष्ट और व्याख्या यह स्पष्ट करते हैं कि समझौता यदि भारतीय संविदा अधिनियम³ के अंतर्गत शून्य या शून्य करणीय है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।⁴ अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि समझौता डिक्री पारित हो जाने के बाद भी, यदि कोई पक्ष उसकी वैधता को चुनौती देता है, तो न्यायालय उसके वैधानिक पहलू की जांच कर सकता है।⁵
12. इस विषय पर कानून को *पुष्पादेवी भगत बनाम राजेन्द्रसिंह*⁶ मामले में संक्षेपित किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने सी पी सी की धारा 96(3)⁷, आदेश 43 नियम 1(म) के विलोपन, तथा आदेश 23 नियम 3A का विश्लेषण किया। इनका सम्मिलित प्रभाव यह है कि समझौता डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती (धारा 96(3) के कारण), समझौते को अभिलेखित करने या न करने के आदेश के विरुद्ध भी अपील नहीं की जा सकती, समझौता डिक्री को रद्द करने हेतु अलग से वाद नहीं लाया जा सकता (नियम 3A), समझौता डिक्री तब तक वैध और बाध्यकारी मानी जाती है जब तक कि उसे उसी न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए जिसने उसे पारित किया हो। **अतः एकमात्र उपाय यह**

² (1993) 1 SCC 581.

³ यहां के बाद 'संविदा अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा

⁴ बनवारीलाल (supra) अनुच्छेद 11 से 13

⁵ ibid, अनुच्छेद 14

⁶ (2006) 5 SCC 566

⁷ 96. मूल डिक्री से अपील —

(3) ऐसी डिक्री के विरुद्ध अपील प्रवर्तनीय नहीं होगी जिसे न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति से पारित किया हो।

है कि संबंधित पक्ष उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन करे जिसने समझौते को अभिलेखित किया था, और यह सिद्ध करे कि वास्तव में कोई वैध समझौता नहीं हुआ था।

17. आदेश 23 के संशोधित प्रावधानों से जो स्थिति उभरती है, उसे इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

(i) धारा 96(3) सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में निहित स्पष्ट निषेध के मद्देनजर, सहमति डिक्री (*consent decree*) के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य (*maintainable*) नहीं है।

(ii) आदेश 43 के नियम 1 की धारा (m) को हटाए जाने के कारण, समझौते को अभिलेखित करने (या न करने) के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भी कोई अपील स्वीकार्य नहीं है।

(iii) आदेश 23 के नियम 3A में निहित निषेध के अनुसार, यह आधार लेते हुए कि समझौता वैध नहीं था, समझौता डिक्री को रद्द करने हेतु कोई स्वतंत्र वाद दायर नहीं किया जा सकता।

(iv) एक सहमति डिक्री बाधात्मक प्रभाव (*estoppel*) के रूप में कार्य करती है और यह तब तक वैध एवं बाध्यकारी होती है जब तक कि उसी न्यायालय द्वारा, जिसने डिक्री पारित की थी, आदेश 23 के नियम 3 के प्रोविज़ो के अंतर्गत उचित आवेदन पर उसे निरस्त (*set aside*) न कर दिया जाए।

अतः, किसी सहमति डिक्री से संबंधित पक्षकार के लिए उसे समाप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि वह उसी न्यायालय का रुख करे जिसने समझौते को अभिलेखित किया था और उसी के आधार पर डिक्री पारित की थी, और यह साबित करे कि वास्तव में कोई समझौता नहीं हुआ था। इस स्थिति में, वही न्यायालय जो समझौते को अभिलेखित करता है, यह निर्णय करेगा कि समझौता वैध था या नहीं। यह इस कारण है कि सहमति डिक्री वस्तुतः पक्षकारों के बीच किया गया एक अनुबंध (*contract*) होता है, जिस पर न्यायालय की स्वीकृति की मुहर लगी होती है। सहमति डिक्री की वैधता पूर्णतः

उस समझौते या समझौता-पत्र की वैधता पर निर्भर करती है, जिसके आधार पर वह डिक्री बनाई गई थी।

(प्रमुखता हेतु रेखांकित)

(प्रमुखता हेतु रेखांकित)

13. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने अपनी पुनर्विचार याचिका (recall application) में यह आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा छल (fraud) किया गया है, जिसे सिद्ध करने का भार (burden of proof) अपीलकर्ता पर है।⁸ आदेश 23, नियम 3 की व्याख्या स्पष्ट करती है कि जो समझौता भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन शून्य करणीय (voidable) हो, वह विधिसम्मत नहीं माना जाएगा। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह आरोप कि समझौता छलपूर्वक हुआ है, समझौते की वैधता को ही चुनौती देता है। यदि वह इसे सिद्ध कर देता है, तो यह समझौता भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 के तहत शून्यकरणीय सिद्ध होगा।⁹ जब न्यायालय आदेश 23, नियम 3 के अंतर्गत हुए समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण करता है, तो उस पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समझौता विधिसम्मत है। नियम 3 की परिशिष्ट न्यायालय पर यह स्पष्ट दायित्व डालती है कि वह इस प्रश्न का निर्णय करे, और जैसा कि *बनवारीलाल* मामले में कहा गया, यह प्रश्न समझौता डिक्री पारित होने के बाद भी पुनर्विचार याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है।

14. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि 14.07.2022 के आदेश में पुनर्स्थापन की अनुमति नहीं दी गई थी। हमारा विचार है कि यह दृष्टिकोण विधिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह अपीलकर्ता को

⁸शांतिबुधिया वेस्टापटेल बनाम निर्मला जयप्रकाश तिवारी, (2010) 5 SCC 104; के. श्रीनिवासप्पा बनाम एम. मल्लम्मा, (2022) 17 SCC 460.

⁹भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 यह प्रदान करती है कि जब किसी अनुबंध में सहमति धोखाधड़ी के कारण प्राप्त की जाती है, तो यह उस पक्षकार के विकल्प पर अमान्य (voidable) होती है, जिसकी सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो।

सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त वैधानिक उपाय (statutory remedy) से वंचित करता है। *पुष्पादेवी भगत* व अन्य निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि समझौता डिक्री की वैधता को केवल वही न्यायालय पर खसकता है जिसने उसे पारित किया है — चाहे समझौता को अभिलेखित करते समय या बाद में पुनर्विचार याचिका द्वारा।¹⁰ समझौता डिक्री से पीड़ित पक्षकार के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न तो अपील और न ही कोई नया वाद बनाए रखने योग्य (maintainable) है

15. उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध वैधानिक उपाय को नकारना उचित नहीं था।¹¹ वास्तव में, जब कोई उपाय किसी अधिनियम में स्पष्ट रूप से दिया गया हो, तो उसे प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।¹² अतः दिनांक 14.07.2022 के आदेश में अपील की पुनर्स्थापना की अनुमति न देना विधिसम्मत नहीं था, और इसी आधार पर पुनर्विचार आवेदन खारिज करना न्यायसंगत नहीं था। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक नीति की दृष्टि से भी, न्यायालयों को वैधानिक उपायों तक पहुंच को बाधित नहीं करना चाहिए।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि समझौता पत्र दिनांक 18.05.2022 की धारा 4 स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि यदि समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो अपीलकर्ता को अपील की पुनर्स्थापना हेतु आवेदन करने का अधिकार होगा। साथ ही, धारा 7 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि भुगतान नहीं किया गया या चेक अनादृत हो गए, तो समझौता शून्य (void) माना जाएगा। इन धाराओं को सामूहिक रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि समझौता पत्र स्वयं यह मानता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में पक्षकार न्यायालय का रुख कर सकते हैं और समझौते की वैधता को चुनौती दे सकते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 में निहित उस सार्वजनिक नीति के अनुरूप है, जिसके

¹⁰ आर. राजन्नाबनामएस.आर. वेंकटस्वामी, (2014) 15 SCC 471, अनुच्छेद 11; त्रिलोकीनाथसिंहबनाम अनिरुद्धसिंह, (2020) 6 SCC 629, अनुच्छेद 17 और 18; आर. जानकीअम्मलबनामएस.के. कुमारस्वामी, (2021) 9 SCC 114; श्रीसूर्यडेवेलपर्स और प्रोमोटर्सबनाम एन. सैलेशप्रसाद, (2022) 5 SCC 736, अनुच्छेद 9; बसवराजबनाम इंदिरा, (2024) 3 SCC 705, अनुच्छेद 9।

¹¹ देखें भानुकुमारजैनबनाम अर्चनाकुमार, (2005) 1 SCC 787, अनुच्छेद 28 और 36।

¹² देखें शिवशक्तिसहकारी हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम स्वराज डेवेलपर्स, (2003) 6 SCC 659, अनुच्छेद 36।

अनुसार कोई भी ऐसा समझौता जो किसी व्यक्ति को वैधानिक उपायों का प्रयोग करने से रोकता है, शून्य होता है।

17. उपर्युक्त विचारों के आलोक में, हम अपील स्वीकार करते हैं, दिनांक 19.10.2023 को पारित उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हैं, और पुनर्स्थापन हेतु याचिका पर विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने इस आदेश में मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

18. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है। यदि कोई अन्य लंबित आवेदन हो, तो वह भी समाप्त माना जाएगा।

.....न्यायमूर्ति

पामिडीघंटमश्रीनरसिम्हा, जे.

.....न्यायमूर्ति

मनोज मिश्रा

नई दिल्ली;

12 दिसंबर, 2024

End Note:

1. यहां के बाद 'CPC' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2. (1993) 1 SCC 581.

3. यहां के बाद 'संविदा अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा

4. बनवारी लाल (supra) अनुच्छेद 11 से 13

5. ibid, अनुच्छेद 14

6. (2006) 5 SCC 566

7. 96. मूल डिक्री से अपील —

(3) ऐसी डिक्री के विरुद्ध अपील प्रवर्तनीय नहीं होगी जिसे न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति से पारित किया हो।

8. शांति बुधिया वेस्टा पटेल बनाम निर्मला जयप्रकाश तिवारी, (2010) 5 SCC 104; के. श्रीनिवासप्पा बनाम एम. मल्लम्मा, (2022) 17 SCC 460.

9. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 यह प्रदान करती है कि जब किसी अनुबंध में सहमति धोखाधड़ी के कारण प्राप्त की जाती है, तो यह उस पक्षकार के विकल्प पर अमान्य (voidable) होती है, जिसकी सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो।

10. आर. राजन्ना बनाम एस.आर. वेंकटस्वामी, (2014) 15 SCC 471, अनुच्छेद 11; त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह, (2020) 6 SCC 629, अनुच्छेद 17 और 18; आर. जानकीअम्मल बनाम एस.के. कुमारस्वामी, (2021) 9 SCC 114; श्री सूर्य डेवेलपर्स और प्रमोटर्स बनाम एन. सैलेश प्रसाद, (2022) 5 SCC 736, अनुच्छेद 9; बसवराज बनाम इंदिरा, (2024) 3 SCC 705, अनुच्छेद 9।

11. देखें भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार, (2005) 1 SCC 787, अनुच्छेद 28 और 36।

12 देखें शिव शक्ति सहकारी हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम स्वराज डेवेलपर्स, (2003) 6 SCC 659, अनुच्छेद 36।

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dikshant Jain'.

Dikshant Jain